

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोधनेर

फोर्स सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>10-9-25</p> <p>Not Press प्रमाणित 10/09/2025</p>	<p>प्राप्तवली फेरा सुर। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन लिखा गया की प्रकरण में प्रत्येकान के मध्य अपीनामा हो चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र को मांगे नहीं - वास्तव में, अतः प्रार्थना पत्र 'Not Press' करने की अनुमति प्रदान करावे। अधिवक्ता वारी/प्रार्थी को निवेदन पर प्रार्थना पत्र Not Press लिखे जाने की अनुमति प्रदान की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A 'Not Press' के आधार पर स्वीरिय लिखा जाता है। प्राप्तवली फेसल शुमार होकर नंबर से नाम होकर दाखिल मकतूर हो।</p> <p>26</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जोधनेर जयपुर</p>